पत्रांक–06/खा0 म0 विविध–03/2026– (6)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल
प्रधान सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–.....

विषय :– एक ही भूमि पर दो अधिकार अभिलेख (Cadastral Survey एवं Revisional Survey) होने के स्थिति में कौन–सी प्रविष्टि "सरकारी भूमि" के लिए Prevail करेगी, के संबंध में मार्गदर्शन।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–71(6)/रा0, दिनांक–03.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में कंडिका–8 के बाद एक नई कंडिका–8(i) को निम्नवत् जोड़ा जाता है :–

"8(i) 1920 के पश्चात्, कालान्तर में कई Land Parcel (भूमि) पर विवाद के कारण माननीय पटना उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्य न्यायालय में वाद दायर हुआ। इन वादों में अंतिम निर्णय (Final Decision) यदि माननीय उच्चत्तम न्यायालय से या माननीय उच्च न्यायालय से आया हो तब वह संविधान का अनुच्छेद–141 के अन्तर्गत अंतिम माना जायेगा एवं उन सभी Land Parcel पर यह व्याख्या स्वतः निष्प्रभावी होगी।"

2. यह कंडिका–8(i) टंकण भूलवश छूट गई थी।

3. यह कंडिका–8(i) मूल प्रासंगिक पत्र दिनांक–03.02.2026 के साथ सपठनीय है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–.....– (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–सभी अंचलाधिकारी/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–.....– (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार एवं मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–89– (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–05/02/2026

प्रतिलिपिः–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/02/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव